(208)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 269–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक अपील 360ए–6 X 04–05

1– पन्नालाल पुत्र स्व. गयाप्रसाद गुप्ता
2– भरत पुत्र स्व. गयाप्रसाद गुप्ता
3– प्रभुदयाल पुत्र स्व. गयाप्रसाद गुप्ता
4– सुधीर कुमार पुत्र स्व. गयाप्रसाद गुप्ता
सभी निवासीगण ग्राम धबाड़ तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– नीलकंठ गुप्ता पुत्र स्व. किशोरीलाल गुप्ता
2– मुन्नालाल गुप्ता पुत्र स्व. किशोरीलाल गुप्ता
3– श्यामलाल गुप्ता पुत्र स्व. धर्मा गुप्ता (मृत) वारिश
(अ) रामदयाल (ब) कामता प्रसाद (स) दीनदयाल पुत्रगण स्व. श्यामलाल गुप्ता
4– बैजनाथ गुप्ता पुत्र स्व. धर्मा गुप्ता (मृत) वारिश
(अ) जगदीश प्रसाद (ब) अनंदीलाल (स) अशोक (द) पप्पू
पुत्रगण स्व. बैजनाथ गुप्ता
5– रामगोपाल गुप्ता पुत्र स्व. नाथूराम गुप्ता
6– जागेश्वर गुप्ता पुत्र स्व. नाथूराम गुप्ता
7– रामेश्वर गुप्ता पुत्र स्व. नाथूराम गुप्ता
सभी निवासीगण ग्राम धबाड़ तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा

आदेश

(आज दिनांक 15–01–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक अपील 360ए–6 X 04–05 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2007 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धबाड तहसील राजनगर स्थित भूमि ख.कं. 539, 540, 541/2, 545 किता 4 कुल रकवा 3.382 है0 भूमि का खाता धर्मा गुप्ता पुत्र मनकू बानिया के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में वर्ष 1960–61 तक दर्ज था। धर्मा गुप्ता ने वादग्रस्त भूमि अपने जीवनकाल में आवेदक के पिता गयाप्रसाद के पक्ष में लिखा पढी कर व अपनी सहमति से राजस्व अभिलेख में राजस्व निरीक्षक चन्द्रनगर द्वारा पंजी. कं. 31 पर आदेश दिनांक 23.10.62 द्वारा गयाप्रसाद के नाम नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया। तभी से गयाप्रसाद के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में निरंतर प्रविष्टि दर्ज चली आ रही है। गयाप्रसाद के मृत होने पर वारिशान आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज हुआ।

अनावेदक कं. 1 व 2 के पिता किशोरीलाल एवं अनावेदक कं. 3 व 4 श्यामलाल, बैजनाथ ने तहसील न्यायालय राजनगर के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अभिलेख दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र.कं. 12/अ–5–अ/03–04 पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.12.2003 द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया। इस

आदेश के विरूद्ध अनावेदक 1 व 2 के पिता एंव अनोवदक कं. 3 व 4 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.04 में यह निष्कर्ष निकाला है कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा पंजी कं. 31 पर दिनांक 23.10.62 को पारित नामांतरण के विरूद्ध अपीलार्थीगण (अनावेदक 1 व 2 के पिता एवं 3 व 4) ने कोई कार्यवाही नहीं की है राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश से उक्त प्रविष्टि की गई थी आदेश सही था अथवा गलत इसकी वैधानिकता को चुनौती सक्षम न्यायालय में ही की जा सकती है। जहां तक विचारण न्यायालय का सवाल है धारा 32, 115, 116 के तहत जो आवेदन प्रस्तुत किया था उसकी कानूनन सही व्याख्या करते हुये उचित आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील खारिज की।

द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.04.2007 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में विधि एवं तथ्यों के आधार पर जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अतः अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की दूसरी ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजनगर की ओर भेजे जाने का आदेश दिया कि वादग्रस्त भूमि अभिलेख में 1939—40 बंदोवस्त रियासत छतरपुर का खसरा में शासन के नाम दर्ज है यदि आवेदक / अनावेदक की भूमि पर अतिक्रमण किये हैं तब तत्काल अतिक्रमण हटाया जाये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3— मैने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्को पर गंभीरता पूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के

अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आहूत किये गये। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनवेदक क्रं. 1 व 2 के पिता किशोरीलाल एवं अनावेदक क्रं. 3 व 4 की अपील आदेश दिनांक 28.12.2004 को निरस्त की थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रं. 1 व 2 के पिता किशोरीलाल एवं क्रं. 3 व 4 श्यामलाल, बैजनाथ पुत्रगण धर्मा गुप्ता ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी किशोरीलाल की माह अप्रेल 2005 में ही मृत्यु हो गयी थी इसी प्रकार प्रत्यर्थी गयाप्रसाद की दिनांक 29.3.2007 को मृत्यु हो गई थी। किन्तु अपर आयुक्त के समक्ष न तो अपीलार्थी किशोरीलाल (मृतक) के वारिशों को एवं न ही प्रत्यर्थी गयाप्रसाद (मृतक) के वारिशों को रिकार्ड पर लाने कीकोई कार्यवाही नहीं की गई इस प्रकार आवेदकगण हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना मृतक व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर आदेश पारित किया गया है । उनका तर्क है कि अनावेदक 1 व 2 के पिता किशोरीलाल एवं क्रं. 3, 4 श्यामलाल, वैजनाथ द्वारा अभिलेख सुधार का आवेदन पत्र संहिता की धारा 32, 115/116 के अंतर्गत 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। जबकि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रविष्टि दिनांक के एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है और संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा स्वमेव कार्यवाही कीजा सकती है। अनावेदकद्वारा अभिलेख सुधार हेतु आवेदन पत्र 40 वर्ष बाद दिया गया था जो स्पष्टतः समयावधि बाह्मय है। उनका यह भी तर्क है कि जिनके द्वारा तहसील में आवेदन पत्र दिया गया था वह खातेदार नहीं है बल्कि गैरखातेदार द्वारा आवेदन दिया था जिनका नाम अभिलेख में दर्ज ही नही है। अंत में उनका यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों न्यायालयों के

समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप कर तहसीलदार को मूल प्रकरण से हटकर पृथक से कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिये जाने का पारित आदेश अधिकारिता रहितहोने से निरस्त किये जाने का एवं निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4— अनावेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क कि वाद भूमि उनके पूर्वजों के स्वत्व स्वामित्व की है। आवेदकगण के पिता ने छल कपट से अपने नाम दर्ज करा ली है इसके साथ ही उनका तर्क था कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाये।

5— उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट हे कि अनावेदक 1 व 2 के पिता किशोरीलाल एंव 3 व 4 श्यामलाल, वैजनाथ द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2003 को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के पिता गयाप्रसाद के नाम अंकित थी। जिनके द्वारा तहसील में आवेदन पत्र दिया गया था वह खातेदार नहीं है बल्कि गैर खातेदार द्वारा आवेदन दिया था जिनका नाम अभिलेख में दर्ज ही नही है। इस कारण प्रकरण संहिता की धारा 32, 115/116 की परिधि में नहीं आता । संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा अशुद्व प्रविष्टि का स्वमेव शुद्धीकरण किया जा सकता है। संहिता की धारा 116 के अंतर्गत अशुद्ध प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये आवेदन पत्र पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकरण में आवेदकगण के पिता गयाप्रसाद गुप्ता की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में राजस्व निरीक्षक चन्द्रनगर द्वारा पंजी क्रं. 31 पर आदेश दिनांक 23.10.62 के पालन में की गयी है और यह प्रविष्टि फर्जी या अधिकारिता रहितनहीं होने से प्रकरण संहिता की धारा 32, 115/116 की परिधि में नहीं आता इस कारण अनावेदक 1 व 2 के पिता किशोरीलाल एवं 3

व 4 श्यामलाल व बैजनाथ का 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है। यदि अनावेदक किशोरीलाल (मृत) श्यामलाल, बैजनाथ राजस्व निरीक्षक के पंजी कं. 31 पर पारित आदेश दिनांक 23.10.62 से असंतुष्ट थे तब इन्हें इस आदेश को सक्षम न्यायालय. में चुनौती देना चाहिये थी। संहिता की धारा 32 के अंतर्गत राजस्व पदाधिकारियों को अन्तर्निहित शक्तियॉ प्रदत्त की गयी है जिनका उपयोग न्यायहित में तभी किया जा सकता है जब अन्य प्रावधान उपलब्ध न हो। अपर आयुक्त सागर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसील व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशो में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं पाने से अनावेदक की अपील निरस्त की है तब उस स्थिति में उनके द्वारा प्रकरण के मूल वाद बिन्दु से हटकर पृथक से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने का पारित आदेश अधिकारिता रहित है। इसके अतिरिक्त उनके समक्ष अपीलार्थी किशोरीलाल अपील प्रस्तुत करने के कुछ समय पश्चात ही मृतक हो गये थे इसी प्रकार प्रत्यर्थी गयाप्रसाद भीमृतक हो गये थे मृतक के वारिशों को पक्षकार बनाये बिना मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित आदेश अधिकारिता रहित एवं शून्य होने से किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 19.04.2007 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.12.2004 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 22.12.2003 यथावत रखे जाते हैं।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर